Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में अभियुक्त द्वारा वादी के भाई कुलदीप की गोली मारकर हत्या की घटना कारित करने के आरोपी रिंकू उर्फ हरेन्द्र को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 30000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त रिंकू उर्फ हरेन्द्र पुत्र लीलू उर्फ धर्मपाल निवासी ग्राम महरामपुर थाना खेकडा जनपद बागपत के द्वारा वादी के भाई कुलदीप की गोली मारकर हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 159/2020 धारा 302 भादवि तथा मु0अ0सं0 161/2020 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इन अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रिंकू उर्फ हरेन्द्र को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 30000 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

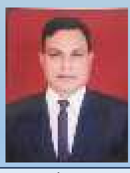

श्री गगन गौड़ एडीजीसी

नि0 श्री शिव कुमार शर्मा विवेचक

है0का0 रमेश कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी अंकित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 06 माह का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अंकित पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 239/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शानू उर्फ शान मौहम्मद को दोषी पाते हुए 03 वर्ष 06 माह के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

नि0 देवेन्द्र कुमार विवेचक

का0 सुनील कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 16.09.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 606/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ बिजली का तार लम्बाई लगभग 20 मीटर बरामद।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 13.09.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी सचिन दीक्षित पुत्र सुनील दीक्षित निवासी ग्राम मीतली थाना व जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सुहेल पुत्र कल्लू निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना बागपत द्वारा मौहल्ला ठाकुर द्वारा स्थित स्कूल प्रांगण में से तारो की चोरी कर ली है। इस सम्बध में थाना कोवताली बागपत पर मु0अ0सं0 606/26 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 606/26 धारा 305(a) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ बिजली का तार लम्बाई लगभग 20 मीटर बरामद किया गया है। मुकदमा उपरोक्त मे बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

बरामदगी का विवरण -

- बिजली का तार लम्बाई लगभग 20 मीटर।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुहेल पुत्र कल्लू निवासी शेखबाबूदीन मौहल्ला केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 18 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2-का0250 कोमल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-का0 62 अरीब पठान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत